# प्ररूप-8∕Form-8

[नियम 13(3) और 26 देखिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960] [See rules 13(3) and 26 of Registration of Electors Rules, 1960]

# निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टयों की शुद्धि के लिए आवेदन Application for correction to particulars entered in electoral roll

सेवा में/To निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,विधान The Electoral Registration O	हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (3.5 × 3.5 सेमी.) के लिए स्थान जिसमें सामने के चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान Space for pasting one recent passport size photograph (3.5 × 3.5 cm) showing frontal view of full face within this box					
महोदय/Sir,						
मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाये। मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण निम्नानुसार हैं :-						
I request that entry relating to myself appearing in the electoral roll for the above Constituency is not correct and it should be corrected. Correct particulars in support of my request are given below:						
I. आवेदक का विवरण/ Applicant's details						
निर्वाचक नामावली का भाग संख्या/Part nur	mber of electoral roll :	उस भाग में क्र०सं०/Serial	number in that part :			
1 जनवरी# कोआयु Age as on 1st January#	বৰ্ष : Years :	Months:	लेंग (पुरुष / स्त्री / तृतीय लिंग) : Gex (male/female/Third Gender) :			
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात है : Date of birth, if known :	तारीख : Day :		त्रर्ष : /ear :			
पिता / माता / पित का नाम नाम/Name उपनाम (यदि कोई हो)/Surname (if any) Father's/Mother's/Husband's Name						
II. साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता) : Particulars of place of present ordinary Residence (Full address) :						
मकान/गृह संख्या / House/Door number :						
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सङ्क / Street/Area/Locality/Mohalla/Road :						
नगर/ग्राम / Town/Village :						
डाकघर / Post Office :		पिन कोड / Pin Code :				
तहसील/तालुक/मंडल/थाना : Tehsil/Taluka/Mandal/Thana :						
जিলা / District :						

III. निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र का विवरण (यदि इस या अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जारी किया गया है) - Details of Elector's Photo Identity Card (if issued, in this or some other constituency):

निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या:

Elector's Photo Identity Card number:

निर्वाचन क्षेत्र का नाम:

Name of the Constituency:

IV. शुद्ध की जानी वाली प्रविशिष्टियों का विवरण:

Details of entries to be corrected:

इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार \*मेरा नाम/ \*आयु / \*मेरे पिता/ माता/ पित का नाम/ \*लिंग/ \*पता/ \*निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या \*शुद्ध कर दिया जाये।

\*My name/\*Age/\*Father's/Mother's/Husband's name/\*Sex/\*Address/\*Elector's Photo Identity Card Number may be corrected in terms of information provided in this Form above.

स्थान : तारीख : निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

Place : Date : Signature or thumb impression of the applicant

टिप्पणी - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।

**Note** – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 31 of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950).

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

 $\pounds$  In case of Union Territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu & Kashmir.

- # कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2007, 2008 आदि।
- # Please give the year i.e. 2007, 2008, etc.
- \* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।
- \* Strike out the inappropriate alternative.

# की गई कार्यवाही के ब्यौरे Details of action taken

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाए) (To be filled by Electoral Registration Officer of the costituency

श्री/श्रीमती/कुमारी	के	निर्वाचक	नामावली	में	नाम	सम्मिलित	किए	जाने	हेतृ
प्ररूप-8 में दिए गए आवेदन को									

The application of Shri/Smt./Km ...... for inclusion of name in the electoral roll in Form-8 has been

\*स्वीकार कर लिया गया है / \*Accepted

\*नामंजूर कर दिया गया है / \*Rejected

\*स्वीकार करने / for \* acceptance

विस्तृत कारण स्वीकार करने के लिए / Detailed Reasons for acceptance

के अधीन या उसके अनुसरण में / under or in pursuance of

[ नियम 18 / rule 18

नियम 20 / rule 20

नियम 26(4)<sup>£</sup> / 26(4)<sup>£</sup>] या

*नामंजूर करने / for * rejection
[ नियम 17* / rule 17*
नियम 20*/ rule 20*
नियम 26(4) <sup>:</sup> / 26(4) <sup>:</sup> ]
विस्तृत कारण / Detailed Reasons :

स्थान :		
Place:		
दिनांक :	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)
Date :	Signature of Electoral Registration Officer	(Seal of the Electoral Registration Officer)

- \$ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरंतर अद्यतन बनाए रखने के दौरान।
- \$ During continuous updating after final publication of electoral roll.

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां Remarks of the filed level officers (e.g. BLO, Designated Office, Supervisory Officers)

आवेदन की पावती / Receipt for application		
**श्री/श्रीमती/कुमारी		
**un		
	से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया।	
	ti/Kumari	
दिनांक/Date	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	
	Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electroral Registration Officer	
	(पता/Address)	

<sup>\*</sup> अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

<sup>\*</sup> Strike out the inappropriate alternative.

<sup>\*\*</sup> आवेदक द्वारा भरा जाएगा / \*\*To be filled in by the applicant.

# आवेदन प्ररूप-8 भरने के लिए दिशा-निर्देश/Guidelines for filling up the Application Form-8 सामान्य अनुदेश/General Instructions

#### प्ररूप-8 कौन दाखिल कर सकता है / Who can file Form-8

1. उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली से सिम्मिलित है तथा विवरण निर्वाचक नामावली में मुद्रित है, प्रविष्टियों में संशोधन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्ररूप 8 में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित विवरण में सुधार के लिये आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता।/ Can be filed only by a person whose name is already included in the electoral roll seeking correction to his/her particulars already printed in the electoral roll. One person cannot file application in Form 8 for correction in the particulars of any other person.

## प्ररूप-8 कब दाखिल किया जा सकता है / When Form-8 can be filed

- 1. निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति के विवरण में संशोधन के लिये प्ररूप 8 दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।/ Form-8 can be filed for correction to particulars of a person entered in the elctoral roll. The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is to be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.
- 2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।/Only one copy of the application is to be filed.
- 3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली में अपने से संबंधित प्रविष्टि के संशोधन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अविध के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए। / The application can also be filed for correction of particulars relating to oneself in the finally published electoral roll when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in duplicate.

#### प्ररूप-8 कहां दाखिल किया जाए / Where to file Form-8

- 1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्राय: मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।/ During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency.
- 2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है। / During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed only with the Electoral Registration Officer.

### प्ररूप-८ कैसे भरें / How to fill up Form-8

- 1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां उस आवेदक का नाम पहले से नामावली में सिम्मिलित है। खाली स्थान में निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।/ The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which another elector registered in that roll objects the proposed inclusion of an entry in the draft electoral roll. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.
- 2. आवेदन के भाग 1 में आवेदक अपना नाम भरें जैसा निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट होना चाहिए। यदि निर्वाचक नामावली में आपका संक्षिप्त नाम प्रविष्ट है और आप अपना पूरा नाम मुद्रित कराना चाहते हैं तब अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिए तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिए। यदि आपका कोई उपनाम नहीं है तो आपको दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां यह निर्वाचक के नाम के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मान सूचक पदिवया जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित, इत्यादि उल्लिखित नहीं किया जाना है।/ In Part I of the Application, please write your name, as it should appear in the electoral roll. In case the initials to your name printed in the electoral roll are in abbreviated form and you want them to be printed in expanded form. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt., Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.
- 3. निर्वाचक सूची के जिस भाग में आपका नाम प्रविष्ट है उसकी भाग संख्या तथा सूची में अपने नाम की क्रम संख्या का उल्लेख करें। यह अनिवार्य है। Please fill up the Pan Number and Serial Number in the part of electoral roll where your name is like mandatory.
- 4. उम्र/Age
  - इसी तरह, उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली मुद्रित हुई है आपको अपनी उम्र वर्ष एवं महीने में अंकित करनी चाहिये। यह अर्हता तिथि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ में नीचे मुद्रित है।/ Similarly, you should indicate your Age in years and Date is as on 1st January of the year with reference to the electoral roll is printed. This qualifying date is printed at the bottom of each page of electoral roll.
- 5. लिंग/Sex
  - प्रदत्त स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट उल्लेख करें, जैसे पुरुष/महिला। यदि आवेदक स्वयं को पुरुष या महिला में वर्गीकृत करना नहीं चाहते तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिख सकते हैं।/ Write your sex in full in the space provided e.g. Male/Female. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.
- 6. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ) / Date of Birth (With Documentary Proof)
  - प्रदत्त स्थान में जन्म तिथि, दिनांक/माह/वर्ग के अनुसार अंकों में भरें। जन्मतिथि के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें-
  - Fill up the date of birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyyy. Proof of date of birth to be attached are as under:-
  - (i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पैजीकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र या दीक्षा प्रमाण-पत्र; या Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Register of Births & Deaths or Baptism certificate; or
  - (ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी /मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या / Birth certificate from the school (Govt./Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or
  - (iii) यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे अधिक पास है तो उसे कक्षा 10 की अंक तालिका की प्रति देनी चाहिए; यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है तो जन्म तिथि के प्रमाण हेत् देनी चाहिए; या
    - If a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the marksheet of class 10, if it contains date of birth as a proof of date of birth: or
  - (iv) आठवीं कक्षा की अंक तालिका यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है ; या Marksheet of class 8 if it contains date of birth : or
  - (v) पांचवी कक्षा की अंक तालिका यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है ; या Marksheet of class 5 if it contains date of birth; or
  - (vi) यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके माता-पिता में से किसी के द्वारा अनुलग्नक-I में निर्धारित प्रपत्र में की गई उद्घोषणा (उन केसों में जहां माता-पिता द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण हेत् उद्घोषणा की जाती है, वहां प्रार्थी को पडताल के समय

बी.एल.ओ./निर्वाचक पंजीचन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा) ; या

A declaration in prescribed format given in Annexure-I (made available on demand by registration authorities) made by either of his parents if the person is not educated till class 10 (in those cases where parental declaration is given as proof of age, the applicant will have to be present himself for verification before BLO/ERO/AERO); or

- (vii) यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ नहीं है और उसके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो उसके जन्म तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम सभा के सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका के सदस्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ।
  - A certificate of his age given by a sarpanch of the concerned Gram Panchayat or by a member of the concerned Municipal Corporation/Municipal Committee, in case the perosn is not educated till class 10 and both the parents are not alive.
- (viii) भारतीय पासपोर्ट / Indian Passport.
- (ix) पैन कार्ड / PAN Card.
- (x) ड्राईविंग लाईसैंस / Driving Licence.
- (xi) यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा जारी किया गया आधार लैटर / Aadhar Letter issued by UIDAI.

टिप्पणी: जन्म तिथि का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन केसों में अपेक्षित होगा जहां प्रार्थी की आयु 18 व 21 वर्ष के बीच है । अन्य सभी केसों में प्रार्थी द्वारा आयु के सम्बन्ध में की गई उद्घोषण ही आयु के प्रमाण के तौर पर ली जाएगी ।

Note: Documentary proof of age will be required only in those cases, where age of the applicant is between 18 and 21 years. In all other cases declaration of his age by the applicant will be taken as proof of age.

7. नातेदार का नाम / Relation's Name:

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पित के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्प को काट दें। / In case of unmarried female applicant, name of Father/Mother is to be mentioned. In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

8. साधारण निवास स्थान / Place of ordinary residence.

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप साधारणतया निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं।/In Part II of the Application form please fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered, in the space provided.

साधारण निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें / Proof of ordinary residence to be attached are as under:

- (i) बैंक/किसान/डाक-घर का चालू पासबुक; या / Bank/Kisan/Post Office current Pass Book, or
- (ii) आवेदक का राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस/ आयकर निर्धारण आदेश; या / Applicants Ration Card/Passport/Driving Licence/Income Tax Assessment Order, or
- (iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता−पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनैक्शन बिल; या / Latest Water/Telephone/Electricity/Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his/her immediate relation like parents etc.. or
- (iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई / सुपुर्द की गई डाक । / Postal department's posts received/delivered in the applicant's name at the given address.

टिप्पणी: घर विहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में बी.एल.ओ. फार्म 6 में दिए गए पते पर रात के समय जाकर यह पता लगाएंगे कि घर विहीन व्यक्ति फार्म 6 में दिए गए पते पर रात को वास्तव में सोता है। यदि बी.एल.ओ. यह पड़ताल कर लेता है कि घर विहीन व्यक्ति उस पते पर वास्तव में सोया है तो निवास हेतु दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी पड़ताल हेतु बी.एल.ओ. द्वारा आवश्यक रूप से एक रात में एक से अधिक दौरे करने होंगे।

Note: In case of homeless persons, the BLO will visit the address given in Form 6 at night to ascertain that the homeless person actually sleeps at the place which is given as his address in Form 6. If the BLO is able to verify that the homeless person actually sleeps at that place, no documentary proof of place of residence shall be necessary. BLO must visit for more than one night for such verification.

9. मतदाता फोटो पहचान पत्र का विवरण / Details of Elector's Photo Identity Card.

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके निर्गत होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के भाग Iii में प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनों तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें। / If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided in Part III of the Application Form. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

10. शुद्ध किये जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण / Details of entries to be corrected

आवेदन के भाग Iv में उल्लिखित विकल्पों में से उन्हें इंगित करें जिनसे संबंधित प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना है। अत: यह आवेदन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपने अपने नाम, उम्र, जन्म तिथि, नातेदार का नाम, लिंग, पता तथा फोटो पहचान पत्र की सही प्रविष्टि आवेदन के भाग I, ii, व Iii में यथास्थान कर दी है। इस भाग Iv में आपको स्पष्ट रूप से टिक का चिन्ह ⇒ लगाकर इंगित करना है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किस प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जाना है। जिन विकल्पों का संशोधन अपेक्षित नहीं है उसे कृपया काट दें। / In Part IV of the Application you should indicate the details of entries to be corrected. Therefore, this is a very important part of the Application. Please ensure that you have indicated the correct details about your name, age, date of birth, relations name, sex, address and photo identity card in the space provided in Parts I to III of the Application. In this Part you have to clearly put a tick mark ⇒ on the details that need to be corrected on the basis of information now furnished by you. Please score out the alternatives that are not to be corrected.

अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के छायाचित्र के साथ मुद्रित होती है। यदि आवेदन गलत छायाचित्र को शुद्ध करने के लिए दिया गया हो तब आवेदक आवेदन के भाग Iv में 'मेरा छायाचित्र' उल्लिखित कर सकते हैं और यदि संभव हो तो अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र आवेदन के साथ संलग्न करें। / In most part of the country now the electoral roll is printed with the photograph of electors. In case the application is for correcting a wrong photograph, then the applicant may write "My Photograph" in Part IV of the application and if possible, attach a recent passport size photograph with the application.

attach a recent passport size photograph with the application. कृपया अपना नाम तथा पूरा पता पावती एवं सूचना वाले भाग में दें । कृपया अपना मोबाईल नं० तथा ई-मेल फार्म में दें ताकि भविष्य में कोई संदेश निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा दिया जाना हो, आवेदक को दिया जा सके । / Please also give your full name and address on the acknowledgement and intimation portions. Please give your mobile number and E-mail I.D. in the form, which is optional, as the same, if given, may be used by the Electoral Registration Officer for further communication with the applicant whenever required.